

न्यायालय - अतिरिक्त जिला कलेक्टर, इंदूरपुर.  
अनवान - गंगाराम बनाम अहमण वगैरे  
अर्थात् पत्र - साक्षात् निवेदनात्. सा. 6/49/2025.

पत्रवली का ध्यान पूर्वक पत्रवली का दिना  
वाक्यान्त द्वारा ही मैं विपक्षी पत्र 1 व 2  
को प्रशासन गांव के पत्र कार्यालय-2021  
में कृषि हेतु आवेदन हुई है वर्तमान  
जमावर्ती रिकॉर्ड अनुसार विपक्षी/कार्यवाही  
गैर खातेदार के रूप में दर्ज है।  
अर्थात् इस अर्थात् पत्र के माध्यम से  
कार्य में रुककर हेतु साक्षात् निवेदना  
चाही है मगर गैर खातेदार को  
साक्षात् निवेदना के माध्यम से  
पावेद दिना जाता न्योयोचित नहीं  
है। अर्थात् के अत्र प्राप्ति कपीय  
अर्थात् पत्र 14(4) नूमी अर्थात् नियम-  
1970 का निर्देश गुणाकरण के अर्थात्  
पत्र के अंतः। अतः इस साक्षात् निवे  
साक्षात् अर्थात् के माध्यम से कार्यवाही  
गैर खातेदार को कार्यवाही कि जाय रही  
नहीं है। अर्थात् अर्थात् पत्र कार्यालय  
दिना जाय है पत्रवली के अंतर्गत अर्थात्  
दिना नम्बर से कार्य की जायत इतना  
इतना ही। निर्देश साफ दिना 21/1/26  
को से इतना अर्थात् अर्थात्

  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
इंदूरपुर

ADN